खंड २ संख्या २०

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

(भाग १—कार्यवाही—प्रश्नोत्तर)

शुक्रवार, तिथि २७ जून, १९६९

सत्यमेव जयते

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना-७ द्वारा मुद्रित
१९७०

[मूल्य ३७ पैसे]

(५) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार आगामी सत्र १९६९-७० में मिल को मिल मालिक द्वारा या स्वयं किसी माध्यम से चलाकर किसानों की परेशानी दूर कर मिल पर दिया गया सरकारी ३० लाख रुपये के बकाये की वसूली कराने को सोचती है ?

मंत्री, ईख विभाग—(१) मोहिनी चीनी मिल के मालिकों ने गत पांच वर्षों से ही (१९६४-६५ साल से) मिल का कार्य-चालन छोड़ दिया है ।

(२) केन्द्रीय सरकार ने तीन साल तक (१९६४-६५, १९६५-६६ और १९६६-६७ तक) अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा इसको चलाया । १९६४-६५ में १६.२७ लाख मन, १९६५-६६ में २०.०५ लाख मन तथा १९६६-६७ में ५.४७ लाख मन गन्ना मिला था ।

(३) उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(४) तत्काल यह नहीं कहा जा सकता है कि उस क्षेत्र में १९६९-७० साल के लिए कितने मन गन्ने की खेती इस वर्ष हुई है । दो-तीन माह के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी ।

(५) मिल के ऊपर लगभग ६८ लाख रु० का देन हो गया है । अतः भारत सरकार तथा राज्य सरकार दोनों ही इस मिल का प्रबन्ध अपने हाथों में नहीं लेना चाहती । मिल के मालिक भी इसे यहां नहीं चलाना चाहते । फिलहाल यह मिल सरकार के बकायों के सिलसिले में जब्त कर ली गयी है । आगामी पेराई साल में (१९६९-७०) इसे चालू किए जाने की कोई संभावना नहीं है ।

मिल क्षेत्र में सड़क निर्माण ।

१३४४ । श्री गौरी शंकर पांडेय—क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) १९५८-५९ ई० में ईख कास्तकारों से सड़क निर्माण हेतु भी० सी० फंड में प्रति क्विंटल के हिसाब से कटौती चम्पारण जिलान्तर्गत किस-किस मिलों ने कितना-कितना रुपया ईख दाम से काट कर रखा है ;

(२) क्या यह बात सही है कि सरकार की ओर से भी आश्वासन था कि उसमें और अधिक रुपये मिल वाले तथा सरकार सड़क निर्माण हेतु देंगे और उन्हीं मिल के क्षेत्रों में पक्की सड़क का निर्माण कराया जायगा ?

(३) क्या यह बात सही है कि उक्त पैसे को मिलवाले रखे हुए हैं ;

(४) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो सरकार कबतक सड़कों का निर्माण कराने जा रही है ?

मुख्य मंत्री—(१) बगहा, हरिनगर, नरकटियागंज, मझौलिया, सुगौली और बराचकिया मिलों ने ईख के दाम से कटौती कर सड़क के निर्माण के लिये राशियां इकट्ठी की थीं जिनका कुल योग ३,६७,५२८ रुपये ५६ पैसे हैं, इन राशियों की विवरणी अनुलग्न है ।

(२) तत्कालीन ईखायुक्त ने ऐसा आश्वासन दिया था।

(३) अनुलग्न विवरणी से यह स्पष्ट होगा कि कुछ राशि कलक्टर के नाम एकाउन्ट में है और कुछ राशि सहकारी संघ के एकाउन्ट में है और कुछ राशि मिलों के अलग पासबुक में जमा है।

(४) ईख के बहुमुखी विकास के लिये विकास परिषदों की स्थापना होने वाली है। इन विकास परिषदों को सरकार की ओर से रुपए दिए जायेंगे। पूर्व में कटौती से ही जमा की हुई राशि से कोई बड़ा काम नहीं हो सकता। इसलिये इन राशियों को विकास परिषदों की राशि में शामिल करके और सरकार से जो रुपये मिलेंगे उनके साथ मिला-जुलाकर सड़कों के निर्माण के कार्यक्रम को चलाया जा सकेगा। अभी जो अध्यादेश जारी है और उसमें विकास परिषदों की स्थापना और उन्हें सरकार की ओर से राशियां देने का विधान है। यही विधान नये अधिनियम में दुहराया जायेगा।

तारांकित प्रश्न संख्या १३४४ के खंड (१) के उत्तर से

१९५७-५८ और १९५८-५९ साल में चम्पारण जिलान्तर्गत चीनी मिलों द्वारा सड़क चन्दा-निधि

फैक्ट्री का नाम ।	किसानों तथा ईखोत्पादक सहयोग समितियां द्वारा जमा की गयी राशि ।	फैक्ट्री द्वारा दी गई अथवा आश्वासन की नई राशि ।	स्तम्भ ३ और ४ का जोड़ ।
१	२	३	४
	रु०	रु०	रु०
१ । बगहा	३,२७०.२५	३,२७०.७५	६,५४१.००
२ । हरिनगर	५,५८४.००	५,५८४.००	११,१६८.००
३ । नरकटियागंज ..	४७,७८४.२६	नील	४७,७८४.२६
४ । मझौलिया ..	१,१९,२३६.४३	१,१९,२३६.४३	२,३८,४७२.८६
५ । सुगौली	२२,५४०.३०	नील	२२,५४०.३०
६ । वारा चकिया ..	४१,०२२.१४	नील	४१,०२२.१४
जोड़ ..	३,६७,५२८.३८	१,२८,०९१.१८	३,६७,५२८.५६

सम्बन्धित विवरण ।

(रोड कंट्रीब्यूट्री फंड) के अन्तर्गत जमा की गयी धनराशि की विवरणी ।

कलक्टर के एकाउन्ट में ।	सहकारिता के एकाउन्ट में ।	अलग से पास बुक में लेकिन फैक्ट्री । के साथ ।	जोड़ ।
५	६	७	८
रु०	रु०	रु०	रु०
...	..	६,५४१.००	६,५४१.००
...	..	११,१६८.००	११,१६८.००
४७,७८५.२६	...	..	४७,७८४.२६
१,१०,०८०.००	९,१५६.४३	१,१९,२३६.४३	२,३८,४७२.८६
२२,५४०.३०	..	..	२२,५४०.३०
३१,५३५.००	९,४८७.१४	..	४१,०२२.१४
२,११,९३९,५६	१८,६४३.५७	१,३६,९४५.४३	३,६७,५२८.५६